



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा
ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के
लिए संपर्क करें
9511151254

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia 9511151254

epaper.swatantraprabhat.com

@SwatantraPrabhatonline

news@swatantraprabhat.com

लखनऊ से प्रकाशित एंव सीतापुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, उन्नाव, हमीरपुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर,

खीरी पुलिस को आखरि काट हत्या का मुकदमा एक महीने बाद लिखना ही पड़ा ...06

लखनऊ, बुधवार, 16 अक्टूबर 2024

वर्ष 06, अंक 21, पृष्ठ 12, मूल्य: 03 रुपया

www.swatantraprabhat.com

प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, महोबा, मिर्जापुर, भद्रेही, झारखण्ड, दिल्ली, बिहार, उत्तराखण्ड आदि जनपदों में प्रसारित

नगर निगम: एक और कार्यदायी संस्था पर लैक लिस्ट होने का खतरा...12

इलेक्शन पिटीशन क्या है, जिसके पेंच में फंसी यूपी की मिल्कीपुर सीट, जानें कहां और क्यों किया जाता है दाखिल?

स्वतंत्र प्रभात

उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। बताया गया है कि इस सीट पर इलेक्शन पिटीशन यानी चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। ऐसे में आइए जानें की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन पिटीशन आखिर कैसा बात आयोग ने देशभर में होने वाले उपचुनावों के तारीखों की घोषणा कर दी। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन एक सीट पर पेंच फंस गया है और वो ही अयोध्या का मिल्कीपुर सीट, जहां अभी उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। मुख्य निवार्चन आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी वजह से बताया है कि इस सीट पर इलेक्शन पिटीशन यानी चुनाव याचिका दाखिल हुई है।

कहां दायर कर सकते हैं याचिका?

चुनाव आयोग के मुताबिक, इलेक्शन पिटीशन उसी राज्य में हाईकोर्ट में दायर किया जा सकता है, जहां चुनाव कराए गए थे। इसलिए चुनाव आयोग ने देशभर में होने वाले उपचुनावों पर दाखिल किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने देशभर में 9 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन एक सीट पर पेंच फंस गया है और वो ही अयोध्या का मिल्कीपुर सीट, जहां अभी उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। मुख्य निवार्चन आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी वजह से बताया है कि इस सीट पर इलेक्शन पिटीशन यानी चुनाव याचिका दाखिल हुई है।

कब तक दायर कर सकते हैं पिटीशन?

चुनाव परिणामों पर सबाल उठाने वाली याचिका इलेक्शन पिटीशन की घोषणा की जाएगी ताकि याचिका दाखिल करने के लिए याचिका को संबंधित उमीदवार को चुनाव दायर की जाए। इसलिए पिटीशन दायर करने के लिए याचिका को संबंधित हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार 2 हजार रुपये शुल्क के रूप में जमा करने होते हैं। हालांकि देशभर में मौजूद अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट के अलग-अलग नियमों के मुताबिक शुल्क अलग-अलग भी हो सकते हैं।

कब रद्द हो जाती है चुनाव याचिका?

चुनाव याचिका आमतौर पर पिटीशन



दायर करने की समयसीमा बीत जाने, संबंधित उमीदवार की सदस्यता समाप्त हो जाने या याचिका से संबंधित पक्ष की मौत हो जाने के कारण रद्द हो जाती है।

कब तक चलता है केस?

अगर हाईकोर्ट में एक ही चुनाव से संबंधित एक से अधिक याचिकाएं दायर की जाती हैं तो उन सभी मामलों की सुनवाई एक ही जगह की जाती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में ये सिफारिश की गई है कि चुनाव याचिका पर रुपये शुल्क के 25 दिनों के भीतर अपील पर तो ऐसे मामलों में एक ही जज सुनवाई करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश अधिक जजों की भी नियुक्ति उस मामले में कर सकते हैं।

कब तक दायर हो जाती है इलेक्शन पिटीशन?

चुनाव परिणामों पर सबाल उठाने वाली याचिका इलेक्शन पिटीशन की घोषणा की जाएगी ताकि याचिका दाखिल करने के लिए याचिका को संबंधित हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार 2 हजार रुपये शुल्क के रूप में जमा करने होते हैं। हालांकि देशभर में मौजूद अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट के अलग-अलग नियमों के मुताबिक शुल्क अलग-अलग भी हो सकते हैं।

कब रद्द हो जाती है चुनाव याचिका?

चुनाव याचिका आमतौर पर पिटीशन

कौपी चुनाव आयोग को भेज दी जाती है।

क्या हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर सकते हैं अपील?

आप फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं जिसे जारी होता है, लेकिन शर्त ये है कि हाईकोर्ट के फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील के फैसले की तारीख से 4 तारीखों के भीतर अपील पर सुनवाई करने के लिए विचार कर सकता है, अगर उसे लगता है कि अपीलकर्ता के फैसले की अनुमति जरूरी होती है। जब पिटीशन वापसी के लिए आवेदन किया जाता है तो उसकी सुचना पिटीशन से संबंधित सभी पक्षों को दी जाती है और फिर उसे अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

कब-कब दायर हुई है चुनाव याचिकाएं?

साल 2009 के चुनावों के दौरान अखबारों में खबरों पर अपने चुनाव खर्च को कम बढ़ाने के लिए अशेष चबाव और मध्यम कोडा के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दायर कर दिया गया था। इस दोनों ही मामले में अपना फैसला सुनाया था और चुनाव आयोग को 45 दिन के अंदर मामले की जांच करने और अपना फैसला बढ़ाने के आदेश दिया गया था। हालांकि कुछ-कुछ थोड़े लंबे खिलाफ जारी होने के तुरंत बाद अपने फैसले की सूचना चुनाव आयोग और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या सभापति को जरूर देता है और फैसले की

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर केस- बंगाल सरकार से स्थिविक वॉलटियर की भर्ती प्रक्रिया का ब्लौरा मांगा रखते हुए जाहिर किया।

कोलकाता के RG Kar अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलाकार और हत्या मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिचम बंगाल सरकार से स्थिविक वॉलटियर की नियुक्तियों और उनकी योग्यताओं से संबंधित जानकारी का ब्लौरा मांगा है। कोर्ट ने असत्यापित नागरिक स्वयंसेवकों को दिए गए 'राजनीतिक संरक्षण' की आशंका जाहिर की है, जहां उनकी तैनाती की जानी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मांगलवार 15 अक्टूबर को कोलकाता के RG Kar अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलाकार और हत्या मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पिचम बंगाल सरकार से स्थिविक वॉलटियर की नियुक्तियों और उनकी योग्यताओं से संबंधित जानकारी का ब्लौरा मांगा है। कोर्ट ने असत्यापित नागरिक स्वयंसेवकों को दिए गए 'राजनीतिक संरक्षण' की आशंका जाहिर की है। चीफ जस्टिस डीवाल चंद्रचूड़, जस्टिस जे.पी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार अपनी 'रात्रि साथी' योजना के तहिं 2003 में अधिकारिक स्वयंसेवकों को दिए गए 'राजनीतिक संरक्षण' की आशंका जाहिर की है। जिसको लेकर बैंच ने राज्य सरकार से तीन सारी में हलफनाम मांगा है। जिसमें कई हाईकोर्ट के नियुक्तियों और उनकी योग्यताओं से संबंधित जानकारी का ब्लौरा मांगा है। कोर्ट ने असत्यापित नागरिक स्वयंसेवकों को दिए गए स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए नियुक्ति दिया है।

ये हैं निर्दश

» राज्य में नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए प्राधिकरण का कानूनी लालों।

» भर्ती के लिए तौर-तरीके।

» भर्ती के लिए योग्यता।

» भर्ती किए जाने से पहले किए गए स्वयंसेवकों की संस्थान।

» जिन संस्थानों में उन्हें कर्तव्य सौंपा गया है।

» दैनिक और मासिक आधार पर नागरिक स्वयंसेवकों को किए गए भुगतान और बजार परिवर्य।

कोर्ट ने साफ किया कि हलफनामे से खास तौर से उस प्रक्रिया का खुलासा होगा जो नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए अपनाई जाती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस थानों और अपारद भी जी जांच में शामिल नागरिक स्वयंसेवकों की संख्या पर जावा दिलाकर देखा जाए।

कोर्ट ने यह एस एक्सेप्ट द्वारा आयोगी विवरणों की विवरणों को आधार पर जावा दिलाकर देखा जाए।

कोर्ट ने यह एस एक्सेप्ट द्वारा आयोगी विवरणों की विवरणों को आधार पर जावा दिलाकर देखा जाए।

कोर्ट ने यह एस एक्सेप्ट द्वारा आयोगी विवरणों की विवरणों को आधार पर जावा दिलाकर देखा जाए।

कोर्ट ने यह एस एक्सेप्ट द्वारा आयोगी विवरणों की विवरणों को आधार पर जावा दिलाकर देखा जाए।

संक्षिप्त खबरें

महिला सशक्तिकरण के लिए पुलिस कर रही कैप



बरेली/प्रदेश सरकार के निर्देशन में चलाया जा रहा महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत पुलिस गांव गांव जाकर महिलाओं लड़कियों को जागरूक करने का कार्य कर रही है साथ ही साथ ही विद्यालयों में वह कैप लगाकर महिलाओं को सचेत रहने के साथ ही उनको मूल अधिकारों से अवगत कराने का कार्य कर रही है इसके बाद क्यों लड़िया पुलिस ने प्रभारी निरीशक के निर्देश पर उन निरीशक दिवार कर महिला कास्टेबल बीना सिंह और कास्टेबल निशा ने विकास खंड भद्रपुर की ग्राम पंचायत नगमा भगवंतपुर में पहुंचकर वहाँ के प्रथमिक विद्यालय में कैप लगाकर गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से भी अवगत कराया ताकि किसी भी तरह का उनका उत्पीड़न ना हो सके ऐसी शिथि अनें पर वह कानून का सहारा लें जिससे उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान होगी।

पीलीभीत बरखेडा में सियार ने किसान पर किया हमला, हाथ नोचकर भाग



